MADHYA PRADESH URJA VIKAS NIGAM LIMITED
(A Govt. of M.P. Undertaking)(ISO 9001:2008 Certified)

No.F/UVN/2025-26/SLP/02-72/ 1105 Date : 22-05-2025

To,

The Convener
State level bankers committee
9 Zonal officer building jail road
Arera Hills, Bhopal (M.P)

**Sub :- Draft process flow for PM Krishak Mitra Surya Yojna.**
**Ref :- (i) Govt. of MP Gazette notification no. 128 Dated 13-05-2025.**
**(ii) RfS no. F/UVN/2024-25/SLP/02-85/940/Dt. 08-05-2025.**

With reference to the subject mentioned above, draft process flow for "PM Krishak Mitra Surya Yojna" is attached, which is subject to changes. It is requested to circulate the same among all scheduled commercial banks of the state.

Encl : As per above

(Ajay Shukla)
Executive Engineer

No.F/UVN/2025-26/SLP/02-72/ 1106 Date : 22-05-2025

CC to :- Managing Director, MPUVNL, Bhopal.

Executive Engineer

"Urja Bhawan" Main Road No.2, Shivaji Nagar, Bhopal-462016 (M.P.) INDIA
Web – www.mprenewable.nic.in, E-mail- mduvnb@gmail.com
Phone- 0755-2556566,2553595, 2575670 Fax – 0755-2553122
E-mail ce1.mpuvn1982@gmail.com, solarpump.mpuvnl@gmail.com

**<u>Draft Process Flow - Solar Pumps – Registered Users</u>**

<u>The process is subject to changes</u>

1. At the Login Page following declarations shall be taken:

    i. EKYC के माध्यम से मैं अपनी पहचान के लिए अपने आधार नंबर के उपयोग की सहमति देता /देती हूँ|

    ii. मेरे आधार रेफरन्स ID से जुड़े समग्र ID एवं समग्र परिवार ID की जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहमति देता हूँ

    iii. मेरे आधार रेफरन्स ID से जुड़े भू अभिलेख की जानकारी प्राप्त करने पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहमति देता हूँ

2. Database of Temporary Connected Farmers & Permanent Connected Farmer for the year 2023-24 and 2024-25 to be taken from DISCOMs, through API. Connection ID will serve as unique identifier. {DISCOMs, MPSEDC, MPUVNL}.
3. All the applications of registered users to be returned to beneficiary login.
4. While re- applying, beneficiary shall update the application with connection ID

    The portal shall ask for connection ID (Temporary or Permanent) from the beneficiary and in case beneficiary doesn't have connection ID, a declaration *("I certify that I do not have Temporary / Permanent connection for the Khasra on which solar pump is being applied")* of farmer being unconnected shall be taken. Once either of the above information is received, portal shall move forward.

    Once Connection ID is entered by beneficiary, the portal shall fetch & match the details from the database as mentioned in 1 above. It shall be noted that, portal shall block the use of same connection ID by multiple logins. The portal shall proceed as below:

    - In case, connection ID & name of beneficiary (As per Aadhar E KYC) matches only with:

        i. Temporary Connected Farmers database, the portal shall allow the beneficiary for further processing. *(Prompt: Congratulations your application is being processed further)*

        *ii.* Permanent Connected Farmers database, the portal shall restrict the application from further processing *(Prompt: Currently you are not eligible under the scheme)*

- In case, connection ID matches with Temporary Connected Farmers Database, however the same name of beneficiary (As per Aadhar E KYC) appears in both Permanent & Temporary Connected Fa
- rmers database:
    i. In case location code are same, application goes to DISCOM for approval

       If DISCOM confirms Temporary Connection-further processing

       If DISCOM confirms Permanent Connection- restrict the application from further processing
    ii. In case location codes are different, application goes for further processing
- In case, no data is fetched with API call for the connection ID entered by beneficiary, no action, application will be parked *(Prompt: "This connection ID does not exist in the Discom database")*
- In case, beneficiary doesn't enter any connection ID and declares himself as Unconnected farmer:
    i. For Legacy Beneficiaries (With Payment- 8491 Nos) – Application goes to DISCOM for approval; If DISCOM confirms UC-further processing, otherwise reject *(Prompt: "Your application has been forwarded to concerned DISCOM for approval")*
    ii. For Legacy Beneficiaries (Without Payment -21898 Nos) & Fresh Registration (10 HP – 33981 Nos) – No action, application will be parked *(Prompt: "Your application is wait-listed. The status of the application will be updated in the due course")*
- In case, connection ID matches with the database as mentioned in point 1 above but the name of beneficiary (As per Aadhar E KYC) doesn't match with data fetched from the database:
    i. If Connection ID belongs to Temporary Connected database, the application shall be directed to MPUVNL's Login. *(Prompt: "Your application is under approval, the status of the same would be updated in due course.")*

In case, there is a cosmetic (minor) difference in name MPUVNL will verify and send back the approval based on document verification

In case, there is major difference in the name, MPUVNL shall check the name in the Samagra family ID, if it is verified that it is some other member of the family, then the applicant can be made a co applicant in the loan.

In case, name doesn't match with Samagra family ID, the application shall be restricted from further processing.

(Approve and Reject Button Shall be provided at MPUVNL's login)

ii. If Connection ID belongs to Permanent Connected database, the portal shall restrict the application from further processing

All applications which are required to be moved to DISCOMS for consideration and approval shall be moved online and shall be visible in DISCOM's login.

5. Beneficiary shall do selection of Pump Capacity & Associated Vendor

Once further processing of application happens as per point 3 above. The Name, Address, Capacity of Pump, Khasra and any other details which are common in database (mentioned in point 1) shall be auto populated. In case Khasra details are not auto populated, a prompt shall be given to beneficiary:

*"Please get your Aadhar linked with your Khasra to get benefit under this scheme".*

The portal shall not proceed further till Khasra details are mapped with Aadhar and are auto populated in the portal.

Portal shall allow beneficiary to choose capacity of pump of his choice. In case beneficiary opts for higher capacity pump a prompt (*You have opted for higher capacity pump as compared to capacity of pump available as per connection id*) shall be shown. A declaration *(In case current selection of Pump Capacity is found to be infeasible, the application is liable to get rejected)* shall also be taken from beneficiary.

Vendor selection shall happen again at this stage (It shall be ensured that pre filled old vendor name shall be displayed)(Vendors shall be arranged in Alphabetical order) {Beneficiary, MPSEDC}

Radio Button Based Declaration: "All the processes and installation of solar pump is subject to your eligibility under the scheme guidelines. At any stage if it found that you are not eligible as per scheme guidelines the pump shall not be installed and no claim against MPUVNL shall be made"

Once the above selection is done and application is submitted, a message shall be displayed “Your Registration is successful”

For 10 HP fresh registrations, beneficiaries may select any capacity pump & associated vendor from (1 HP to 7.5 HP). In case beneficiary wishes to continue with 10 HP pump, the portal shall not allow any vendor being selected (Blank List of Vendors shall appear). In such cases, the application shall remain at beneficiary login.

6. MPUVNL shall issue Letter of Award (LOA) to vendors based on the consents as received on the portal. Vendor shall do feasibility survey.
7. At this stage portal shall ask for feasibility report to be uploaded by vendor. In case capacity of solar pump as mentioned in application matches with feasibility report uploaded, the application shall be processed further. In case, capacity of solar pump as mentioned in application does not match with the feasibility report. The case shall be parked till approval of MPUVNL.
8. Once applications are processed further, at this stage bank selection for loan processing shall happen; all information related to Bank Loan Processing shall be captured (Including the present address of the beneficiary). Vendor Shall follow-up with beneficiaries for depositing the balance amount. {MPUVNL, Vendor, Beneficiary}
9. Once bank is selected and relevant information is captured, the portal shall allow beneficiary to download Detailed Project Report (DPR). The format of DPR shall be fixed and uploaded from the backend in the portal with option of updation in dynamic fields Viz. Beneficiary name, Capacity of Pump, Bank Name, loan amount etc.

   *(Prompt : “Please apply in Agriculture Infrastructure Fund (AIF) portal, Select the “Name of the bank (to be auto populated)” while applying”)* {Beneficiary, MPSEDC}
10. Once DPR is downloaded, the portal shall redirect to www.afriinfra.dac.gov.in.
11. When beneficiary re-logins the portal shall ask for Agriculture Infrastructure Fund (AIF) application number & Beneficiary ID. There shall be the provision of uploading documents related to AIF application. It shall be noted that the portal shall not allow the beneficiaries to move forward till above information is captured in the portal. {Beneficiary, Vendor, MPSEDC}.
12. Once AIF application number & Beneficiary ID is entered, the application shall be forwarded to Bank (It shall now be visible on Bank’s login) for loan processing. {MPSEDC}

13. Confirmation of receipt of full Margin Money of beneficiary shall be provided to banks through portal, based on which Bank(s) shall update the loan sanction status on the portal. {Bank, MPSEDC}
14. On demand from bank(s), stamp duty for loan agreement shall be electronically transferred from MPUVNL to the concerned bank(s). The status of the same would be updated by MPUVNL on the portal. {MPUVNL, MPSEDC}. Loan Agreement Digital Signing by beneficiary shall happen at this stage (Banks to co-ordinate with beneficiary).
15. Once loan sanction approval is visible on the portal, MPUVNL will issue NTP to vendors.
16. Upon commissioning of the pump along with all necessary approvals as per NTP, MPUVNL shall seek disbursal of loans from bank(s). Beneficiary wise EMI schedule is to be provided by the Bank.
17. Beneficiary wise EMI schedule will get defined and would be available on Finance's login.
18. The monthly EMI requirement would be assessed from the integrated portal; nodal bank would forward the monthly bill (claim bill) to MPUVNL.
19. Based on the claim bill, MPUVNL will draw the budget received from the GoMP under the scheme through New and Renewable Energy Department. MPUVNL will deposit this amount in scheme specific account opened in the nodal bank.
20. Based on advance approval of MPUVNL by the nodal bank, payment will be made to various banks by the nodal bank based on requisition received from them (If Applicable).
21. Entire process as mentioned from point 17 to 19 to be done a few days in advance to ensure that the payments of EMI are on time; since the CIBIL score of the farmers will take a hit in case the payments from the GoMP are delayed.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]    भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 मई 2025—वैशाख 23, शक 1947


नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्र. एफ-1-1-2015-साठ.—मंत्रि-परिषद् दिनांक 24 जनवरी 2025 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं नवीन एवं.नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की ''कुसुम योजना'' के घटक (ब) द्वारा देय अनुदान के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना (प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना) संशोधित कर अनुमोदित की गयी है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ''प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना'' का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनु श्रीवास्तव,** अपर मुख्य सचिव.

**1) अनुदान व्यवस्थाः-**

i. बेंचमार्क मूल्य या निविदा मूल्य में से न्यूनतम पर "नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की "कुसुम योजना" के घटक 'ब' अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान व्यवस्था रहेगी:-

| **सोलर पंप श्रेणी** | **भारत सरकार का अनुदान** | **कृषक ऋण** | **कृषक का योगदान (Margin Money)** |
|---|---|---|---|
| 3 एच.पी. तक | 30 प्रतिशत | 65 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 3 एच.पी. से अधिक | 30 प्रतिशत | 60 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

ii. परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा Margin Money के रूप मे दिया जाएगा।

iii. भारत सरकार की कुसुम-बी योजना के अंतर्गत 7.5 एच.पी. से अधिक क्षमता के पंप पर केन्द्रांश की राशि 7.5 एच.पी. के पंप पर देय अनुदान तक सीमित रहेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति कृषक ऋण के माध्यम से की जावेगी।

iv. प्रदेश मे चिन्हित विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTG), यथा-भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय, के आवेदकों हेतु राज्य शासन का योगदान 65 प्रतिशत रहेगा।

v. उपरोक्त व्यवस्था अनुसार श्रेणीवार 60 अथवा 65 प्रतिशत राज्यांश के अतिरिक्त मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का सर्विस चार्ज भी वहन किया जाएगा।

vi. कृषक ऋण के भुगतान का पुरा दायित्व राज्य शासन का होगा। राज्य शासन द्वारा उक्त ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए "अटल कृषि ज्योति योजना" एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जाएगा। बैंको की ऋण की शर्तो का

अनुमोदन वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।

vii. ऋण प्राप्ति हेतु म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

**2) सोलर पम्प स्थापना की दरों का निर्धारणः-**

प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी प्रक्रिया से की गई खुली निविदा के माध्यम से दरों का निर्धारण किया जाएगा। सोलर पम्प की कुल कीमत का निर्धारण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका, तकनीकी मापदण्ड तथा मानकों अथवा उससे बेहतर स्थापित मानकों/मापदण्डो के अनुसार होगा।

**3) तकनीकी पहलूः-**

योजना के अंतर्गत 5 एच. पी. क्षमता तक केवल डी. सी. तथा बड़े पम्पों की श्रेणी में ए. सी. व डी. सी. दोनों तरह के पम्प मान्य होंगे। सोलर पम्प की उपयोगिता उपरांत, सोलर पैनलों से उत्पादित ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोग हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश, तकनीकी मापदण्ड एवं मानको के अनुसार यूनिवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर (यू. एस. पी. सी.) के उपयोग का विकल्प कृषकों को दिया जाएगा। इन पम्पों के लिए केन्द्रीय अनुदान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की "कुसुम योजना" के घटक 'ब' अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। इन पम्पों के लिए बिना यू. एस. पी. सी. के समान क्षमता के सोलर पंप का अनुदान ही राज्यांश के रूप मे लागू होगा।

**4) योजना का क्रियान्वयनः -**

i. संस्थागत व्यवस्थाः-

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः-

- मुख्य सचिव, म०प्र०शासन - अध्यक्ष;

- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग- सदस्य सचिव;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, उर्जा विभाग- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन वित्त विभाग- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग- सदस्य;
- भारसाधक सचिव, म०प्र०शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग- सदस्य;

जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं परामर्श हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:-

- जिला कलेक्टर, अध्यक्ष
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
- उप-संचालक, कृषि - सदस्य
- प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक - सदस्य
- सहायक संचालक, उद्यानिकी - सदस्य
- महाप्रबंधक/ अधीक्षण यंत्री, संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी - सदस्य
- जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड - सदस्य ।

ii. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के वेब पोर्टल पर सोलर पम्प के

आवेदन का प्रारूप उपलब्ध रहेगा। हितग्राही द्वारा वेब पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर निम्न जानकारी अंकित करनी होगी:-

(क) हितग्राही का नाम, पता, आधार नम्बर तथा मोबाइल क्रमांक (यदि हो)।

(ख) भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का विवरण (खसरा नम्बर, ग्राम, आर. आई. सर्कल, तहसील एवं जिला)।

(ग) उस खसरे, खसरे बटांकन पर सिंचाई का वर्तमान स्त्रोत।

(घ) कृषि हेतु किसान का प्रश्नाधीन खसरों पर विद्युत कनेक्शन है अथवा नहीं यदि है,तब स्थाई या अस्थाई।

iii. उपरोक्त (ii) के तहत् मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मे प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूर्ववर्ती "मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को समाहित करते हुए पात्र हितग्राहियों की वरीयता सूची अनुसार सोलर पम्प का आवंटन किया जाएगा।

iv. लक्षित लाभार्थी:-

(एक) योजना के लिए राज्य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि हेतु स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं है। योजनान्तर्गतं प्रदत्त सोलर सयंत्रो की जिओ टैगिंग या अन्य उचित प्रबंध किया जायेगा, जिससे सोलर पंप पर देय अनुदान और विद्युत् कनेक्शन पर देय अनुदान का दोहरीकरण (duplicity) न हो सके। पंप के श्रेणी की स्वीकृति, कृषक की भूमि के क्षेत्रफल अनुसार होगी, ताकि अनुदान का सही उपयोग हो सके।

(दो) योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं व अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाए। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाए। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 23-24 या वर्ष 24-25 में अस्थायी विद्युत संयोजन एवं स्थायी विद्युत संयोजन प्राप्त करने वाले

उपभोक्ताओं का समग्र (व्यक्तिगत एवं परिवार आई डी दोनों के साथ) एवं आधार ई-के.वाय.सी. आधारित सभी सुसंगत फील्डस (mpbhulekh portal का उपयोग कर खसरा नम्बर प्राप्त किया जाकर) इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस बनाया जाएगा। इसी प्रकार, अविद्युतिकृत उपभोक्ताओं का डाटाबेस उक्तानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा विद्युत वितरण कंपनीयों के सहयोग से बनाया जाएगा। उक्त डाटाबेस का उपयोग सोलर पंप प्रदाय हेतु किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण भुगतान हेतु भी इस डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। सोलर पंप स्थापना उपरांत डाटाबेस के आधार पर संबंधित उपभोक्ता ऊर्जा विभाग के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के लिए अपात्र माना जाएगा।

v. हितग्राही अंश की राशि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में पोर्टल के माध्यम से अथवा चालान द्वारा जमा कराई जाएगी। तत्पश्चात यह सुनिश्चित होने पर कि हितग्राही द्वारा उसके अंश की राशि जमा कर दी गई है, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर पम्प के लिए आदेश प्रदत्त कर क्रय एवं स्थापना प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

5) **शेष ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगः -**

सोलर पम्पों के सोलर पैनलों से वर्ष के लगभग 330 दिन व औसतन 8 घंटे प्रतिदिन ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि कृषि पम्पिंग हेतु आवश्यकता मात्र लगभग 150 दिन ही होती है। अतः, शेष ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोगों, जैसे-चाफ कटर, आटा चक्की, कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर, बैटरी चार्जर, आदि, हेतु यूनिवर्सल सोलर पम्प कन्ट्रोलर (यू.एस.पी.सी.) को बढ़ावा दिया जाएगा।

6) **नोडल एजेन्सीः-**

i. योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की मार्गदर्शिका, तकनीकी मापदण्ड तथा मानकों अथवा उससे बेहतर स्थापित मानकों/मापदण्डों का निर्धारण, प्रदायकर्ता इकाईयों का चयन, इकाईयों

द्वारा संयंत्र स्थापना का कार्य एवं भुगतान का दायित्व नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को सौंपा जाता है।

ii. सोलर पम्प की स्थापना के साथ ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना व उपलब्ध अनुदान को जोड़ने के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग व उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही की जाएगी।

7) प्रत्येक सोलर पम्प के साथ एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम व उसमें दिए गए अनुदान का उल्लेख होगा। पंप पर क्यू आर (QR) कोड स्थापित किये जायेंगे जिससे सम्पूर्ण जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध रहे।

8) पूर्व में प्रचलित "मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना" से विस्थापन हेतुः -
ऐसे समस्त हितग्राही, जिन्होंने इस योजना के अधिसूचित किए जाने से पूर्व तत्समय प्रचलित "मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना" के अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु पंजीकरण किया हो, वे निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अंतर्गत पूर्व पंजीकृत कृषकों पर उपरोक्त कंडिका क्र.1 अनुसार अनुदान व्यवस्था लागू की जाए।

9) यह योजना प्रशासकीय विभाग को इसके प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण और/या व्याख्या प्रदान करने हेतु आदेश जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

10) **योजना अवधिः -**
यह योजना मार्च 2028 तक लागू रहेगी।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.